REGIONAL OFFICE
RAJA/STHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
D-Block, Ambedkar Nagar Alwar, Rajasthan, 301001

RPCB/RO/Alwar/NGT/Gen-298/ 741 Dated: 27/8/2020

Through:- Email

The Registrar
Hon'ble National Green Tribunal
Central Zonal Bench,
Bhopal

Sub:- OA No. 45/2020(CZ) (IA No. 74/2020) Mukesh Sharma V/s State of Rajasthan & Others.

Ref:- Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi order dated 31/07/2020.

Sir,

With reference to above subject, kindly find enclosed inspection report of Joint Committee for necessary action please.

Regards,

Yours Sincerely

Encl: As above

Regional Officer
RSPCB, Alwar

राजस्थान सरकार
संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट

माननीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) भोपाल में विचाराधीन ऑरीजनल एप्लीकेषन नं. 45/2020 (CZ) श्री मुकेश शर्मा बनाम राजस्थान मे पारित आदेश दिनांक 31.07.2020 की पालना सुनिश्चित करने बाबत श्रीमान जिला कलक्टर अलवर के आदेश कमांक 2280–84 दिनांक 11.08.2020 से गठित टीम द्वारा क्षेत्र बलदेवगढ तहसील राजगढ जिला अलवर में प्रभावशील खनिज मार्बल के खनन पट्टों की जांच करने बाबत दिनांक 21.08.2020 को मौके पर पहुॅचे। ग्राम बलदेवगढ तहसील राजगढ जिला अलवर में 8 खनन पटटे प्रभावशील है जिनका विवरण निम्नानुसार हैं:–

क. सं.	एम.एल. नं.	खनन पट्टाधारी का नाम	संचालन सम्मति का विवरण	पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण	माईनिंग प्लान/स्कीम का विवरण	खान प्रबंधक की नियुक्ति का विवरण	वर्तमान स्थिति
1	278/88	श्रीमती निर्मला शर्मा	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर के पत्र कमांक 114–116 दिनांक 01.05.2017 से अवधि दिनांक 31.03.2022 तक के लिए कन्सेन्ट टू ऑपरेट स्वीकृत है।	District level Environment Impact Assessment Authority, Alwar (Raj.) से DEIAA/AWR/File/178/2016-17/1672 Dated 09.07.2016 से पर्यावरण पूर्वानुमति जारी की हुई है।	अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर के पत्र कमांक अखअ/जय/मा. स्कीम/प–215/17/19 दिनांक 12.01.2018 से अवधि 2018–19 से 2022–23 तक के लिए माईनिंग स्कीम अनुमोदित है।	खान सुरक्षा निदेशालय के पत्र कमांक S29024/GR/RAJ/Alwar/0134/Mang/2754 दिनांक 17.09.2019 से खान प्रबंधक की दिनांक 20.08.2020 तक की अवधि के अनुमति जारी की हुई है।	खनन कार्य चालू है।
2	160/87	श्री मनोज कुमार शर्मा	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर के पत्र कमांक 95–97 दिनांक 24.04..2017 से अवधि दिनांक 31.03.2022 तक के लिए कन्सेन्ट टू ऑपरेट स्वीकृत है।	District level Environment Impact Assessment Authority, Alwar (Raj.) से DEIAA/AWR/File/175/2016-17/1660 Dated 09.07.2016 से पर्यावरण पूर्वानुमति जारी की हुई है।	अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर के पत्र कमांक अखअ/जय/मा. स्कीम/प–236/17/27 दिनांक 12.01.2018 से अवधि 2018–19 से 2022–23 तक के लिए माईनिंग स्कीम अनुमोदित है।	खान सुरक्षा निदेशालय के पत्र कमांक S29024/GR/RAJ/Alwar/0134/Mang/2753 दिनांक 17.09.2019 से खान प्रबंधक की दिनांक 20.08.2020 तक की अवधि के अनुमति जारी की हुई है।	खनन कार्य चालू है।
3	167/88	मै0 एस0एस0 मार्बल्स	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर के पत्र कमांक 1825 दिनांक 01.05..2017 से अवधि दिनांक 31.03.2022 तक के लिए कन्सेन्ट	District level Environment Impact Assessment Authority, Alwar (Raj.) से	अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर के पत्र कमांक अखअ/जय/मा. स्कीम/प–418/2018/789 दिनांक 29.11.2018 से अवधि	खान सुरक्षा निदेशालय के पत्र कमांक S29024/GR/RAJ/Alwar/0134/Mang/2753 दिनांक 27.09.2019 से खान	खनन कार्य चालू है।

			टू ऑपरेट स्वीकृत है।	DEIAA/AWR/ File/176/2016-17/1649 Dated 09.07.2016 से पर्यावरण पूर्वानुमति जारी की हुई है।	2018—19 से 2022—23 तक के लिए माईनिंग स्कीम अनुमोदित है।	प्रबंधक की दिनांक 20.08.2020 तक की अवधि के अनुमति जारी की हुई है।	
4	341 / 87	श्री अशोक अजमेरा	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर के पत्र कमांक 1841 दिनांक 11.05..2017 से अवधि दिनांक 30.04.2022 तक के लिए कन्सेन्ट टू ऑपरेट स्वीकृत है।	District level Environment Impact Assessment Authority, Alwar (Raj.) से DEIAA/AWR/ File/174/2016-17/1625 Dated 09.07.2016 से पर्यावरण पूर्वानुमति जारी की हुई है।	अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर के पत्र कमांक अखअ / जय / मा. स्कीम / 15 दिनांक 12.01. 2018 से अवधि 2022—23 तक के लिए माईनिंग स्कीम अनुमोदित है।	खान सुरक्षा निदेशालय के पत्र कमांक S29024/GR/RAJ/ Alwar/0134/Mang/556 दिनांक 25.02.2020 से खान प्रबंधक की दिनांक 20.02.2021 तक की अवधि के अनुमति जारी की हुई है।	खनन कार्य चालू है।
5	342 / 87	श्री विनोद अजमेरा	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर के पत्र कमांक 1830 दिनांक 1. 05..2017 से अवधि दिनांक 31.03.2022 तक के लिए कन्सेन्ट टू ऑपरेट स्वीकृत है।	District level Environment Impact Assessment Authority, Alwar (Raj.) से DEIAA/AWR/ File/177/2016-17/1637 Dated 09.07.2016 से पर्यावरण पूर्वानुमति जारी की हुई है।	अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर के पत्र कमांक अखअ / जय / मा. स्कीम / 09 दिनांक 12.01. 2018 से अवधि 2022—23 तक के लिए माईनिंग स्कीम अनुमोदित है।	खान सुरक्षा निदेशालय के पत्र कमांक S29024/GR/RAJ/ Alwar/0134/Mang/556 दिनांक 25.02.2020 से खान प्रबंधक की दिनांक 20.02.2021 तक की अवधि के अनुमति जारी की हुई है।	खनन कार्य चालू है।
6	239 / 87	श्री चन्द्रशेखर शर्मा		अधिसूचना दिनांक 14.09. 2006 के तहत वांछित पर्यावरण पूर्वानुमति प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं करने के अभाव में खनन कार्य प्रतिबंधित है।			ई.सी. के अभाव में खनन कार्य बंद है
7	121 / 04	श्री प्रेम कुमार खण्डेलवाल	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर के पत्र कमांक 45—48 दिनांक 27.04.2016 से अवधि दिनांक 30.04.2019 तक	पर्यावरण विभाग जयपुर से F1(4)SEAC-Raj/Sectt/Project/Cat-1(a)B2	अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर के पत्र कमांक अखअ / जय / अल / मा.प्लान / प. 596 / 14 / 1739 —1744 दिनांक	——	सी.टी.ओ. के अभाव में खनन कार्य बंद है

			के लिए कन्सेन्ट टू ऑपरेट स्वीकृत थी।	(E.C)14-15 Jaipur 28.03.2016 से पर्यावरण पूर्वानुमति जारी की हुई है।	17.10.2014 से अवधि 2022–23 तक के लिए माईनिंग स्कीम अनुमोदित था।		
8	376/87	श्री अनिल शर्मा	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर के पत्र क्रमांक 1826 दिनांक 1. 05..2017 से अवधि दिनांक 31.03.2022 तक के लिए कन्सेन्ट टू ऑपरेट स्वीकृत है।	District level Environment Impact Assessment Authority, Alwar (Raj.) से DEIAA/AWR/File/266/2016-17/2684 Dated 18.11.2016 से पर्यावरण पूर्वानुमति जारी की हुई है।	अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर के पत्र क्रमांक अखअ/जय/मा. स्कीम/131 दिनांक 06.03. 2018 से अवधि 2022–23 तक के लिए माईनिंग स्कीम अनुमोदित है।	खान सुरक्षा निदेशालय के पत्र क्रमांक S29024/GR/RAJ/Alwar/0134/Mang/927 दिनांक 28.04.2020 से खान प्रबंधक की दिनांक 02.04.2021 तक की अवधि के अनुमति जारी की हुई है।	मौके पर खनन कार्य बंद है।

1. **खनन पट्टा संख्या 278/88 पट्टेधारी श्रीमती निर्मला शर्मा** :– मौके पर इस खनन पट्टे के सभी सीमा स्तम्भ पक्के बने हुए पाये गये जिनका डिमारकेशन रिपोर्ट के अनुसार कोर्डिनेट का सत्यापन किया गया जो सही पाया गया। वक्त निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य चालू पाया गया। वर्तमान में खनन कार्य के दौरान मलबा न के बराबर निकलता है। उक्त खान की खनन – पिट आवंटित क्षेत्र के सम्पूर्ण भाग तक विस्तृत है। खनन से बहुत कम मात्रा में मलबा निकलता है। हालांकि मलबा खनन क्षेत्र के बाहर सरकारी भूमि पर डाला जा रहा है। जो कि नगण्य आकार का है।
2. **खनन पट्टा संख्या 160/87 पट्टेधारी श्री मनोज शर्मा** :– मौके पर इस खनन पट्टे के सभी सीमा स्तम्भ पक्के बने हुए पाये गये जिनका डिमारकेशन रिपोर्ट के अनुसार कोर्डिनेट का सत्यापन किया गया जो सही पाया गया। वक्त निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य चालू पाया गया। वर्तमान में खनन कार्य के दौरान मलबा न के बराबर निकलता है। उक्त खान की खनन – पिट आवंटित क्षेत्र के सम्पूर्ण भाग तक विस्तृत है। खनन से बहुत कम मात्रा में मलबा निकलता है। हालांकि मलबा खनन क्षेत्र के बाहर सरकारी भूमि पर डाला जा रहा है। जो कि नगण्य आकार का है।
3. **खनन पट्टा संख्या 167/88 पट्टेधारी मैसर्स एस.एस. मार्बल** :– मौके पर इस खनन पट्टे के सभी सीमा स्तम्भ पक्के बने हुए पाये गये जिनका डिमारकेशन रिपोर्ट के अनुसार कोर्डिनेट का सत्यापन किया गया जो सही पाया गया। वक्त निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य चालू पाया गया। वर्तमान में खनन कार्य के दौरान मलबा न के बराबर निकलता है। उक्त खान की खनन – पिट आवंटित क्षेत्र के सम्पूर्ण भाग तक विस्तृत है। खनन से बहुत कम मात्रा में मलबा निकलता है। हालांकि मलबा खनन क्षेत्र के बाहर सरकारी भूमि पर डाला जा रहा है। जो कि नगण्य आकार का है।
4. **खनन पट्टा संख्या 341/87 पट्टेधारी श्री अशोक अजमेरा** :– मौके पर इस खनन पट्टे के सभी सीमा स्तम्भ पक्के बने हुए पाये गये जिनका डिमारकेशन रिपोर्ट के अनुसार कोर्डिनेट का सत्यापन किया गया जो सही पाया गया। वक्त निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य चालू पाया गया एवं खनन कार्य के दौरान निकलने वाला मलबा खनन पट्टा क्षेत्र में ही डाला जा रहा है।

5. **खनन पट्टा संख्या 342/87 पट्टेधारी श्री विनोद अजमेरा :–** मौके पर इस खनन पट्टे के सभी सीमा स्तम्भ पक्के बने हुए पाये गये जिनका डिमारकेशन रिपोर्ट के अनुसार कोर्डिनेट का सत्यापन किया गया जो सही पाया गया। वक्त निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य चालू पाया गया एवं खनन कार्य के दौरान निकलने वाला मलबा खनन पट्टा के दक्षिण में चारागाह में डाला गया है। वर्तमान में मलबा नहीं के बराबर निकलता है। मौके पर पट्टेधारी को निर्देशित किया गया कि खनन पट्टे से बाहर जो मलबा डाला गया है उसे शीघ्र हटाया जावे।
6. **खनन पट्टा संख्या 239/87 पट्टेधारी श्री चन्द्रशेखर शर्मा :–** मौके पर खनन कार्य बंद है तथा खनन पिट में बरसाती पानी भरा हुआ है।
7. **खनन पट्टा संख्या 121/04 पट्टेधारी श्री प्रेमकुमार खण्डेलवाल :–** मौके पर खनन कार्य बंद है तथा खनन पिट में बरसाती पानी भरा हुआ है।
8. **खनन पट्टा संख्या 376/87 पट्टेधारी श्री अनिल शर्मा :–** मौके पर इस खनन पट्टे के सभी सीमा स्तम्भ पक्के बने हुए पाये गये । वक्त निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य बंद पाया गया।

वक्त जांच खनन पट्टा सख्या एम.एल. नं. 278/88, 160/87, 167/88, 341/87, 342/87 में खनन कार्य चालू पाया गया तथा मौके पर कोई अवैध खनन होता हुआ नहीं पाया गया एवं खनन कार्य के दौरान खनन पट्टों में मलबा नगण्य है।

खनन पट्टाधारी एम.एल. 342/87 व एम.एल. 341/87 के द्वारा 100–120 फीट फीट की गहराई के मध्य में खनन कार्य किया जा रहा है एवं खनन पट्टेधारी एम.एल. नं. 278/88, 160/87 व 167/88 के द्वारा 150–200 फीट की गहराई के मध्य में खनन कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि चट्टानी सतह पर भूमिगत वाटर–लेवल लगभग 300 फीट की गहराई के नीचे है। इस संबंध में ग्रामिणों से बयान भी लिये गये जो इस जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

खनन पट्टा संख्या एम.एल. नं. 278/88, 341/87, 342/87, 239/87 एवं 121/04 में कुछ पानी भरा हुआ पाया गया। मौके पर चालू खनन पट्टों में खनन पिट के साईड फेस की दरारों से पानी रिस कर आना पाया गया। खनन पट्टाधारियों द्वारा बताया गया कि बरसात का पानी रिस कर आ रहा है।

उक्त खानों में से 3 खाने – एम.एल. नं. 167/88, 278/88 व 160/87 एक ही स्थान पर अवस्थित हैं तथा 2 खान एम.एल. नं. 341/87 एवं 342/87 उक्त 3 खान के स्थान से कुछ दूरी पर अवस्थित है। उक्त दोनों ही अवस्थितियों पर भूमिगत जल स्तर जानने हेतु कुओं, हैण्डपम्प व बोलवैल का जल स्तर जानने का प्रयास किया। वर्तमान में बरसात का पानी होने से स्थानीय कुंओं का जल स्तर गर्मी–सर्दी की भूमिगत जल स्तर से व्यापक अन्तराल वाला ज्ञात हुआ। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कुछ कुंओं में भूमिगत जल स्तर 10 से 80 फीट के मध्य है जबकि कुछ कुंऐं समान गहराई वाले होते हुए भी सुख गए हैं। खनन पट्टा संख्या एम. एल. नं. 341/87 एवं एम.एल. नं. 342/87 के पास एक नवीन बोरिंग है जिसकी गहराई मुताबिक बयानात् मालिक करीब 350 फीट है। खनन पट्टा संख्या एम.एल. नं. 167/88, एम.एल. नं. 278/88 एवं एम.एल. नं. 160/87 के पास अवस्थित एक हेण्डपम्प जो कि चालू है कि गहराई 160 से 180 फीट के मध्य है। अतः खनन पट्टा धारियों द्वारा खनन कार्य भूमिगत जल स्तर की गहराई के समीप ही किया जाना प्रतीत है। स्थानीय निवासियों/काश्तकारों के बयानों की प्रति संलग्न है।

इस क्षेत्र में खनन कार्य वर्ष 1985 से होता आ रहा है तत्कालीन समय में 20–25 खनन पट्टे स्वीकृत थे जो धीरे–धीरे खण्डित हो गये और वर्तमान में 8 खनन पट्टे प्रभावशील हैं जिनमें मात्र 5 खनन पट्टों में खनन कार्य चालू है। क्षेत्र में चारागाह/सिवायचक भूमि में पुराना मलबा पडा हुआ है।

खनन पट्टा संख्या एम.एल. नं. 278/87, 160/87 व 167/88 में वर्तमान में खनन कार्य के दौरान मलबा न के बराबर निकलता है। खनन पट्टा संख्या एम.एल. नं. 341/87 में वर्तमान में खनन कार्य के दौरान मलबा नहीं के बराबर निकलता है तथा इस खनन पट्टे का मलबा खनन पट्टा क्षेत्र में ही पडा हुआ है। खनन पट्टा संख्या एम.एल. नं. 342/87 में वर्तमान में खनन कार्य के दौरान मलबा नहीं के बराबर निकलता है। मौके पर खनन पट्टा संख्या एम.एल. नं. 342/87 के पट्टेधारी को निर्देशित किया गया कि खनन पट्टे से बाहर जो मलबा डाला गया है उसे शीघ्र हटाया जावे।

मौके पर जांच करने पर पाया कि खनन कार्य, मलबे एवं खनन गतिविधियों से पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र को अवरोधित नहीं किया जा रहा है।

टिप्पणीः–

1. क्षेत्र में अवैध खनन होता हुआ नहीं पाया गया एवं पट्टेधारियों द्वारा जिनमें खनन कार्य चालू है उनके द्वारा नियमानुसार पर्यावरण क्लीरेंस व राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी कन्सेन्ट टू ऑपरेट लेकर ही खनन कार्य किया जा रहा है।
2. वक्त निरीक्षण मात्र खनन पट्टा एम.एल. नं. 342/87 द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर मलबा डाला हुआ है जिसे पट्टेधारी को शीघ्र हटाने हेतु निर्देशित किया गया है वर्तमान में खनन के दौरान मलबा न के बराबर निकलता है।
3. क्षेत्र बलदेवगढ में खनन पट्टेधारियों द्वारा खनन भूमिगत जल स्तर के समीप किया जा रहा है तथा भूमिगत जल स्तर (Ground Water table) को विभाजित (Intersect) नहीं किया जा रहा है।
4. खनन कार्य, मलबा एवं खनन गतिविधियों से पानी के प्राकृतिक बहाव को अवरूद्व नहीं किया जा रहा है।

ओमप्रकाश गुप्ता
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मंण्डल अलवर

के0सी0 गोयल
खनि अभियंता
खान एवं भू–विज्ञान विभाग
अलवर

केशव कुमार मीणा, **RAS**
उपखण्ड अधिकारी,
राजगढ, जिला अलवर

बयान

दिनांक:- 21.8.2020

मैं महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद शर्मा जाति-ब्राह्मण उम्र-28 साल निवासी- बलदेवगढ़ शपथपूर्वक बयान करता हूँ की मेरे द्वारा इस क्षेत्र बलदेवगढ़ में बोरिंग करवाया गया जिसमें करीबन 350 फिट गहराई के बाद भी पानी नहीं मिला। इसके बाद दूसरा बोरिंग करवाई गई जिसमें करीबन 80-100 फिट गहराई पर पानी मिला। जो बोरिंग अभी चल रहा है हमारे गांव बलदेवगढ़ में कहीं पानी 350 फिट गहराई पर भी नहीं आता है और कहीं-कहीं पानी 80-100 फिट गहराई पर मिल जाता है तथा हमारे क्षेत्र में कुओं की गहराई करीबन 50-60 फिट गहराई का जिसमें अभी बरसात के समय में 5-10 फिट पानी है जो गर्मी के समय में सूख जाता है।

महेश कुमार शर्मा

बयान

दिनांक:- 21.8.2020

मैं दयाराम गुर्जर पुत्र श्री शम्भू दयाल गुर्जर जाति- गुर्जर, उम्र- 30 साल निवासी- बलदेवगढ़ शपथपूर्वक बयान करता हूँ की इस क्षेत्र बलदेवगढ़ में कुओं से सिन्चाई कम होती है कुओं की गहराई करीबन 50-60 फिट है जो गर्मी के दिनों में सूख जाते है अभी बरसात का समय है इसलिए थोड़ा बहुत 10-15 फिट तक पानी भरा हुआ है बाकी 45-50 फिट खाली है। कुओं का पानी गर्मी के दिनों में पानी खत्म होने पर हमारे द्वारा बोरिंग करवाई जाती है जिसमें करीबन 300 फिट तक पानी नही आता है और कई बार जगह बदलकर बोरिंग करते है तो 300 फिट तक पानी आ भी जाता है। खानों की गहराई 90 फिट के लगभग है। जिसमें बरसात का पानी सिपेज होकर भरा हुआ है। यही पानी जब कुओं में खत्म हो जाता है तब सिंचाई के काम में लिया जाता है

दयाराम

(दयाराम गुर्जर S/O
शम्भू दयाल गुर्जर)

बयान

दिनांक :- 21.8.2020

मैं भरतलाल गुर्जर पुत्र श्री रामकरण गुर्जर जाति गुर्जर उम्र-40 साल निवासी बलदेवगढ शपथपूर्वक बयान करता हूँ की इस क्षेत्र बलदेवगढ में कुओं से सिंचाई कम होती है कुओं की गहराई करीबन 50-60 फिट है जो गर्मी के दिनों में सूख जाते है अभी बरसात के समय में कुओं में करीबन 10-15 फिट पानी भरा हुआ है बाकी 45-50 फिट खाली है कुओं का पानी जब गर्मी के दिनों में सूख जाता है तो बोरिंग की जाती है जिसमें करीबन कभी-कभी 350 फिट तक पानी लग जाता है कभी पानी नहीं भी मिलता है।

भरतलाल

<u>बयान</u>

दिनांक :- 21.8.2020

मैं रामस्वरूप पुत्र प्रभात नाथ जाति योगी उम्र - 42 साल निवासी बलदेवगढ़ शपथपूर्वक बयान करता हूँ की मेरा कुआ खानों के आस-पास पूर्व दिशा में स्थित जो इधारी के नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें करीबन 90 फिट आज की तारीख 21.8.2020 में खाली है करीबन 10 फिट पानी बरसात का भरा हुआ है बरसात का सीजन है इसलिए पानी है गर्मियों के दिनों में कुआ बिलकुल सूख जाता है यानी पानी नहीं रहता है श्री अर्जुन लाल गुर्जर ने बोरिंग करवाया था जिसमें करीबन 300 फिट तक पानी नहीं आया था हमारी खेती के लिए पानी आस-पास स्थित खानों से लेते है

रामस्वरूप योगी
21/8/2020
बलदेवगढ़.

बयान

मै शम्भु दयाल शर्मा पुत्र श्री गोविन्द राम शर्मा उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम बलदेवगढ तहसील राजगढ जिला अलवर, शपथ पूर्वक बयान करता हुँ कि मेरे खेत मे एक कुआ है जोकि लगभग 70 फुट गहरा है। वर्तमान मे दिनांक 21/08/2020 को कुआ जमीन के तल से लगभग 8 फुट गहराई तक भरा हुआ है। यह कुआ गर्मी के मौसम मे लगभग सुख जाता है।

मेरे घर के पास एक हाथ से चलने वाला नलकूप लगा हुआ है जिसकी गहराई लगभग 150 फुट है।

शम्भु

शम्भु दयाल शर्मा
निवासी- बलदेवगढ
राजगढ अलवर
mob- 9928851792

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर

कमांक : विधि/2020/ दिनांक : 08.2020

आदेश

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 45/2020 मुकेश शर्मा बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 31.07.2020 की अनुपालना में ग्राम बलदेवगढ तहसील राजगढ में प्रभावशील खननपट्टो में पट्टाधारियों द्वारा अवैध रुप से चारागाह एवं सिवायचक भूमि में मलबा डालने, जल का अवैध रुप से दोहन करने के सम्बन्ध में जांच किये जाने हेतु निम्नानुसार टीम का गठन किया जाता है :-

1. उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
2. क्षेत्रीय अधिकारी, राज0 प्रदूषण मण्डल अलवर
3. खनि अभियन्ता, अलवर

क्षेत्रीय अधिकारी, राज0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल अलवर को निर्देश दिये जाते है कि पालना रिपार्ट माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में नियत समय मे प्रस्तुत कर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करावें।

-Sd-
जिला कलक्टर
अलवर

कमांक : विधि/2020/2280-84 दिनांक : ..11....08.2020

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवयश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सदस्य सचिव राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है, कि प्रकरण मे माननीय ट्रिब्यूनल के आदेश की पालना हेतु क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियत्रंण मण्डल अलवर को निर्देशित कराने का श्रम करावें।
2. निदेशक खान एवं पट्रोलियम विभाग राजस्थान उदयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है, कि प्रकरण मे माननीय ट्रिब्यूनल के आदेश की पालना हेतु खनि अभियन्ता अलवर को निर्देशित कराने का श्रम करावें।
3. उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल अलवर।
5. खनि अभियन्ता अलवर।

जिला कलक्टर
अलवर

Scanned with CamScanner